पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विभाग छिन्दवाड़ा म0प्र0

1. जिले में कार्यरत संस्थाओं की जानकारी

जिले में 20 पशु चिकित्सालय, 74 पशु औषधालय, 04 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, 39 कृ0ग0उपकेन्द्र, 01 चलिष्णु इकाई, 03 चल विरूजालय, 01 जिला पशुरोग अनुसंधान प्रयोगशाला, 01 केन्द्रिय वीर्य संग्रहालय, 01 शा0संकर पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, 01 शा0कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र कार्यरत है ।

उपरोक्त संस्थाऐं कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाऐं छिन्दवाड़ा के नियंत्रण में संचालित हैं जिला कार्यालय का **दूरभाष क्रमांक** 07162–222297 तथा जिला पशु चिकित्सालय छिन्दवाड़ा का **दूरभाष क्रमांक** 07162–247326 है ।

पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारियों का विकासखंडवार नाम एवं मोबाइल नं.

क्र.	नाम	विकास खंड	मोबाईल नं.
1	डा0आर0एस0मिश्रा	**छिन्दवाड़ा**	9893017328
2	डा0एस0आर0पटले	**मोहखेड़**	9329828024
3	डा0जी0एन0सिंग	**बिछुआ**	9424959565
4	डा0सुभाष बाबू दोहरे	**सौसर**	9424325080
5	डा0राजेय वर्मा	**पाण्ढुर्णा**	9406734530
6	डा0एम0के0मोर्य	**जुन्नारदेव**	9827576590
7	डा0ज्योति तिवारी	**तामिया**	9425819626
8	डा0उषा निश्चल क्षत्री	**परासिया**	9425867174
9	डा0आर0एस0मिश्रा	**हर्रई**	9893017328
10	डा0ओ0पी0गुप्ता	**अमरवाड़ा**	9981468233
11	डा0आर0एस0सिंग	**चौरई**	9827769115

2. पशुपालन संबंधी सामान्य जानकारी

अ. उत्तम नस्ल के अन्छी गुणवत्ता वाले पशुओं का पालन करें ।

ब. पशुओं की उन्नत नस्ल हेतु कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षित व्यक्ति से ही करावें।

स. निकृष्ट नस्ल के सांडों का बधियाकरण करावें ।

उ. मादा पशु जनने के 2–3 माह बाद ही कृत्रिम गर्भाधान करावें ।

द. नियत समय पर पशु के गर्मी पर ना आने पर योग्य पशु चिकित्सक से पशुओं की जांच करवाकर समुचित उपचार करवावें ।

व. पशु के जनने के 2 माह पूर्व से दूध निकालना बंद कर देवें ।

च. गाभिन पशुओं की नियमित जांच करावें एवं पशु चिकित्सक के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करें ।

छ. दूध दुहते समय स्थान,बर्तन एवं थनों को स्वच्छ रखें ।

ज. बूढ़े अपाहिज एवं अनुपयोगी पशुओं को अपने निकटतम गौशालाओं में पहुचवावें।

झ. विभाग द्वारा समय समय पर आयोजित पशु चिकित्सा शिविर,पशु बांझपन उपचार शिविरों का पूरा पूरा लाभ उठावें ।

न. पशुपालन विभाग की योजनाओं का समय समय पर लाभ उठावें तथा अधिक जानकारी के लिये अपने निकटतम विकास खंड के पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी से संपर्क करें ।

3. पशुरोग नियंत्रण

अ. साफ स्वच्छ आवास एवं सतुलित आहार से अनेक रोगों से बचाव होता है ।

ब. बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग बांधकर रखना चाहिये ।

स. प्रत्येक पशुओं की आहार एवं पानी की व्यवस्था पृथक पृथक होनी चाहिये ।

द. पशुओं के पेट में परिजीवी(कृमी) पाई जाती है इसीलिये प्रत्येक पशु को तीन माह में एक बार कृमीनाशक औषधि अनिवार्य रूप से देनी चाहिये । पशुओं में बाह्य परिजीवी (किल्ली) हो जाने पर किल्लीमार दवा का उपयोग करें ।

ई. वर्षाकाल में पूर्व पशुओं में घटसर्प एवं एक टंगिया जैसे सक्रामक रोगों का ठीकाकरण अवश्य करावें ।

फ. वर्षाकाल पश्चात मुहखुरी रोग का ठीका लगवायें ।

क. पशुओं के बीमार होने पर अपने निकटतम पशु चिकित्सा संस्था में संपर्क करें।

ख. पशुओं में किसी भी स्थिति मे आक्सीटोसिन इंजेक्सन का उपयोग ना करें ।

4. पशुओं की आवास व्यवस्था

अ. स्वच्छ हवादार एवं प्रकाशमय होना चाहिये ।

ब. पशुओं को बांधने के लिये पर्याप्त स्थान होना चाहिये ।

स. फर्श ढलावदार पक्का एवं खुरदुरा होना चाहिये ।

द. दीवार 4 फुट उंची हो एवं शेष स्थान खुला होना चाहिये ।

ई. बीच में छत की उंचाई 12 फिट एवं शेष स्थान खुला होना चाहिये ।

द. छोटे बछड़ों के लिये अलग आवास व्यवस्था होना चाहिये ।

क. पशुओं के सामने मेंजर(खाने का टांका) होना चाहिये ।

ख. पशुओं के पीछे की तरफ गोबर,मूत्र एवं गंदे पानी की निकासी हेतु नाली होना चाहिये ।

ग. पशुओं के आवास स्थान सदैव सूखा एवं स्वच्छ होना चाहिये ।

घ. पशुओं के आवास गृह के आसपास भी पर्याप्त साफसफाई होना आवश्यक है।

5. विभागीय योजनाऐं

अनुदान पर (10+1) / (20+2) बकरी इकाई का प्रदाय

(यह योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिये)

क्र.	योजना	विवरण			
1.	उद्देश्य	देशी बकरियों में नस्ल सुधार लाना। हितग्रहियों की आर्थिक सिथति में सुधार लाना। मांस तथा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना।			
2.	योजना	योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिये। हितग्राही को बकरी पालन का अनुभव हो। योजना प्रदेश के सभी जिलों में।			
3.	हितग्राही	सभी वर्गों के बकरी पालक।			
4.	योजना इकाई / इकाई लागत	क्रमांक	विवरण	(10+1) बकरी इकाई	(20+2) बकरी इकाई
		1.	उन्नत स्थानीय नस्ल की बकरी दर 1500/— प्रति बकरी	15000/—	30000/—
		2.	1 जमुनापारी बकरा	3475/—	6950/—
		3.	बीमा राशि 10.35: की दर से 5 वर्ष के लिये।	1912/—	3824/—
		4.	बकरी आहार 3 माह के लिये 400 ग्राम प्रतिदिन रू0 8/— प्रति किलो।	3168/—	6336/—
		5.	औषधि डीवर्मिंग टीकाकरण आदि 150/— प्रति बकरी के मान से।	1650/—	3300/—

			योग	**25205/–**	**50410/–**
5.	अनुदान	अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति वर्ग के लिये 50 प्रतिशत अनुदान / सामान्य वर्ग के लिये 25 प्रतिशत अनुदान। 10 प्रतिशत हितग्राही अंशदान शेष बैंक ऋण			
6.	संपर्क	निकट पशु चिकित्सा संस्था से।			

अनुदान पर 3/5 क्रॉस ब्रीड गाय की इकाई

(यह योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिये)

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>योजना</th><th colspan="5">विवरण</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>उद्देश्य</td><td colspan="5">दुग्ध उत्पादन में वृद्धि।
हितग्रहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना।
प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता सुनिश्चित करना।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>योजना</td><td colspan="5">योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिये।
हितग्राही को पशु पालन का अनुभव हो।
योजना प्रदेश के सभी जिलों में।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>हितग्राही</td><td colspan="5">सभी वर्गों के पशु पालक, लघु कृषक / सीमान्त कृषक / वी.पी.एल. का बंधन नहीं।</td></tr>
<tr><td rowspan="7">4.</td><td rowspan="7">योजना इकाई / इकाई लागत</td><td>क्रमांक</td><td>विवरण</td><td>इकाई का विवरण</td><td>3 गाय की इकाई लागत मूल्य</td><td>5 गाय की इकाई लागत मूल्य</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>गायों की कीमत</td><td>रू. 1800 प्रति ली. प्रति गाय 14400/—</td><td>43200/—</td><td>72000/—</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>परिवहन व्यय</td><td>प्रति गाय 1000/—</td><td>3000/—</td><td>5000/—</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>बीमा प्रीमियम मास्टर पॉलिसी अन्तर्गत 5 वर्ष हेतु 11.63 प्रतिशत</td><td>प्रति गाय 1675/—</td><td>5025/—</td><td>8375/—</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>पशु खाद्यान्न पर व्यय 4 कि.ग्रा. प्रतिदिन 90 दिन के लिये रू. 6 प्रति किलो।</td><td>प्रति गाय 2160/—</td><td>6480/—</td><td>10800/—</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>औषधि डीवर्मिंग टीकाकरण आदि 800/— प्रति पशु के मान से।</td><td>प्रति गाय 800/—</td><td>2400/—</td><td>4000/—</td></tr>
<tr><td></td><td>योग</td><td>20035/—</td><td>60105/—</td><td>100175/—</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>अनुदान</td><td colspan="5">अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति हेतु रूपये 10000/— अनुदान सामान्य वर्ग हेतु रूपये 7500/— 10 प्रतिशत हितग्राही अंशदान शेष बैंक ऋण</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>संपर्क</td><td colspan="5">निकट पशु चिकित्सा संस्था से।</td></tr>
</table>

अनुदान पर 3/5 ग्रेडेड मुर्रा भैंस पालन इकाई

(यह योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिये)

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>योजना</th><th colspan="5">विवरण</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>उद्देश्य</td><td colspan="5">दुग्ध उत्पादन में वृद्धि।
हितग्रहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना।
प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता सुनिश्चित करना।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>योजना</td><td colspan="5">योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिये।
हितग्राही को पशु पालन का अनुभव हो।
योजना प्रदेश के सभी जिलों में।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>हितग्राही</td><td colspan="5">सभी वर्गों के पशु पालक, लघु कृषक / सीमान्त कृषक / वी.पी.एल. का बंधन नहीं।</td></tr>
<tr><td rowspan="7">4.</td><td rowspan="7">योजना इकाई / इकाई लागत</td><td>क्रमांक</td><td>विवरण</td><td>इकाई का विवरण</td><td>3 ग्रेडेड मुर्रा भैंस की इकाई लागत मूल्य</td><td>5 ग्रेडेड मुर्रा भैंस की इकाई लागत मूल्य</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>भैंसों की कीमत</td><td>रू. 2000 प्रति ली. प्रति पशु 14000/-</td><td>42000/-</td><td>70000/-</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>परिवहन व्यय</td><td>प्रति भैंस 1000/-</td><td>3000/-</td><td>5000/-</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>बीमा प्रीमियम मास्टर पॉलिसी अन्तर्गत 5 वर्ष हेतु 11.63 प्रतिशत</td><td>प्रति पशु 1628/-</td><td>4884/-</td><td>8140/-</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>पशु खाद्यान्न पर व्यय 4 कि.ग्रा. प्रतिदिन 90 दिन के लिये रू. 6 प्रति किलो।</td><td>प्रति पशु 2160/-</td><td>6480/-</td><td>10800/-</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>औषधि डीवर्मिंग टीकाकरण आदि 800/- प्रति पशु के मान से।</td><td>प्रति पशु 1628/-</td><td>2400/-</td><td>4000/-</td></tr>
<tr><td></td><td>योग</td><td>19588/-</td><td>58764/-</td><td>97940/-</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>अनुदान</td><td colspan="5">अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति हेतु रूपये 10000/- अनुदान सामान्य वर्ग हेतु रूपये 7500/- 10 प्रतिशत हितग्राही अंशदान शेष बैंक ऋण</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>संपर्क</td><td colspan="5">निकट पशु चिकित्सा संस्था से।</td></tr>
</table>

विशेष पशु प्रजनन कार्यक्रम

संकर जर्सी मादा वत्स पालन कार्यक्रम

(यह योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिये)

क्र.	योजना	विवरण
1.	उद्देश्य	संकर बछिया एवं देशी उन्नत नस्ल की बछिया के उचित परिपालन हेतु संतुलित आहार उपलब्ध कराकर गरीब हितग्राहियों मे संकर एवं देशी उन्नत नस्ल के वत्स पालन के प्रति रूचि उत्पन्न करना
2.	योजना	योजना में ऐसे लघु/सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों का चुनाव किया जाता है जिनके पास स्वयं की मादा जर्सी संकर बछिया एवं देशी उन्नत नस्ल की बछिया हो । बछिया के भरण पोषण हेतु 4 से 32 माह की आयु तक संतुलित पशु आहार प्रदाय किया जाता है ।

		योजना को अब प्रदेश के सभी जिलों मे विस्तारित किया गया है ।
3.	हितग्राही	लघु कृषक / सीमान्त कृषक / भूमिहीन,कृषि मजदूर ।
4.	योजना इकाई	पात्र हितग्राही के पास उपलब्ध जर्सी संकर बछिया ।
5.	इकाई लागत	रूपये 8100.00 (नाबार्ड क्रेडिट प्लान अनुसार) पशुआहार 17 क्विंटल (रू.4.50प्रति किलो की दर से) 7650.00 औषधि हेतु 175.00 तीन वर्ष हेतु बीमा राशी 284.00
6.	अनुदान	सामान्य वर्ग के लिये अधिकतम सीमा रू. 3000.00 अनुसूचित जाति वर्ग के लिये अधिकतम सीमा रू. 5000.00 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये अधिकतम सीमा रू. 5000.00
7.	संपर्क	संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी / पशु औषधालय के प्रभारी से

अनुदान के आधार पर बकरों का प्रदाय

(संशोधित योजना)

(यह योजना सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों के लिये)

क्र.	योजना	विवरण
1.	उद्देश्य	देशी बकरियों में नस्ल सुधार लाना
2.	योजना	योजना में सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के उन्नत नस्ल का जमनापारी बकरा अनुदान के आधार पर प्रदाय किया जाता है । योजना में सभी पंचायतों में एक बकरा प्रदाय किया जावेगा
3.	हितग्राही	सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के पशुपालक जिनके पास न्यूनतम 05 बकरियां हो ।
4.	योजना इकाई	एक उन्नत नस्ल का प्रजनन योग्य बकरा ।
5.	इकाई लागत	लगभग रू0 4000.00(बकरे का मूल्य 3700/–,बीमा राशी रू.264/– 4 प्रतिशत एक वर्ष,सेवा कर,वेक्सीन एवं मिनरल मिक्सचर आदि का रू.134/– कुल रू. 4000/–) वेक्सीन एवं मिनरल मिक्सचर की राशी नगद प्रदाय न की जाकर वेक्सीन एवं मिनरल मिक्सचर प्रदाय किया जावेगा ।
6.	अनुदान	सभी वर्ग के लिये 80 प्रतिशत एवं हितग्राही अंश 20 प्रतिशत ।
7.	चयन प्रक्रिया	आवेदक संबंधित ग्राम पंचायत का आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा । खण्ड–स्तरीय पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी संबंधित जनपद पंचायत में आवेदनों पर अनुमादन प्राप्त करेगा । संयुक्त संचालक/उप संचालक प्राप्त प्रकरणों को उपलब्ध बजट अनुसार जिला पंचायत की कृषिस्थाई समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त करेगा । चयनोपरांत पशु चिकित्सा विभाग से अनुबंध करना अनिवार्य होगा । अन्य शर्ते जो विभाग द्वारा लागू की गई हैं
8.	संपर्क	संबंधित ग्राम पंचायत / निकटस्थ पशु चिकित्सा संस्था संयुक्त संचालक / उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाऐं)

अनुदान के आधार पर नर सूकर प्रदाय

(संशोधित योजना)

(यह योजना केवल अनुसूचित जाति के हितग्राहियों के लिये)

क्र.	योजना	विवरण
1.	उद्देश्य	देशी/स्थानीय सूकरों की नस्ल में सुधार लाना
2.	योजना	इस योजना में केवल अनुसूचित जाति के सूकर पालक को उन्नत नस्ल का एक नर सूकर अनदान के आधार पर प्रदाय करने का प्रावधान । योजना प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य जिलों में क्रियान्वित ।
3.	हितग्राही	अनुसूचित जाति के सूकर पालक ।
4.	योजना इकाई	एक उन्नत नस्ल का प्रजनन योग्य नर सूकर ।
5.	इकाई लागत	लगभग 2900.00
6.	अनुदान	अनुसूचित जाति के सूकर पालकों के लिये 75 प्रतिशत अनुदान के आधार पर ।
7.	संपर्क	संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी / पशु औषधालय प्रभारी से ।

अनुदान के आधार पर सूकर त्रयी का प्रदाय

(संशोधित योजना)

(यह योजना केवल अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों के लिये)

क्र.	योजना	विवरण
1.	उद्देश्य	देशी/स्थानीय सूकरों की नस्ल में सुधार लाना
2.	योजना	इस योजना में केवल अनुसूचित जनजाति के सूकर पालक को उन्नत नस्ल का एक नर सूकर एवं दो मादा सूकर विनिमय के आधार पर प्रदाय करने का प्रावधान । योजना प्रदेश के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों में क्रियान्वित ।
3.	हितग्राही	अनुसूचित जनजाति के सूकर पालक ।
4.	योजना इकाई	एक उन्नत नस्ल का प्रजनन योग्य नर सूकर दो उन्नत नस्ल की मादा सूकर ।
5.	इकाई लागत	लगभग 8000.00
6.	अनुदान	अनुसूचित जनजाति के सूकर पालकों के लिये 75 प्रतिशत अनुदान के आधार पर।
7.	संपर्क	संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी / पशु औषधालय प्रभारी से ।

मुक्त परिसर प्रणाली में कुक्कुट इकाई का वितरण

(बिना लिंग भेद के 15 दिवसीय 55 रंगीन चूजों की इकाई)
(यह योजना केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों के लिये)

क्र.	योजना	विवरण
1.	उद्देश्य	कुक्कुट पालन के माध्यम से हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार
2.	योजना	यह योजना केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये। बिना लिंग भेद के 15 दिवसीय 55 चूजे,खाद्यन्न एवं औषधि का प्रावधान । योजना प्रदेश के अनुसूचित जाति /जनजाति बाहुल्य जिलों में लागू ।
3.	हितग्राही	अनुसूचित जाति एवं अनुससूचित जनजाति के कुक्कुट पालक ।
4.	योजना इकाई	बिना लिंग भेद के 15 दिवसीय 55 चूजे ।
5.	इकाई लागत	15 दिवसीय 55 चूजों की मूल्य प्रति इकाई रू. 975.00 कुक्कुट आहार प्रति इकाई रू. 370.00 औषधि व्यय प्रति इकाई रू. 065.00 परिवहन व्यय प्रति इकाई रू. 090.00 योग इकाई लागत रू.1500.00
6.	अनुदान	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिये 80 प्रतिशत हितग्राही अंश 20 प्रतिशत
7.	संपर्क	संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी / पशु औषधालय प्रभारी से ।

मुक्त परिसर प्रणाली में कड़कनाथ कुक्कुट इकाई का वितरण

(बिना लिंग भेद के 15 दिवसीय 55 रंगीन चूजों की इकाई)
(यह योजना केवल अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों के लिये)

क्र.	योजना	विवरण
1.	उद्देश्य	कुक्कुट पालन के माध्यम से हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार एवं कड़कनाथ नस्ल के संरक्षण हेतु ।
2.	योजना	यह योजना केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये। बिना लिंग भेद के 15 दिवसीय 55 चूजे,खाद्यन्न एवं औषधि का प्रावधान । योजना प्रदेश के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य 15 जिलों में लागू ।
3.	हितग्राही	अनुससूचित जनजाति के कुक्कुट पालक ।
4.	योजना इकाई	बिना लिंग भेद के 15 दिवसीय 55 चूजे ।
5.	इकाई लागत	15 दिवसीय 55 चूजों की मूल्य प्रति इकाई रू. 1045.00 कुक्कुट आहार प्रति इकाई रू. 280.00 औषधि व्यय प्रति इकाई रू. 075.00 परिवहन व्यय प्रति इकाई रू. 100.00 योग इकाई लागत रू. 1500.00
6.	अनुदान	अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये 80 प्रतिशत हितग्राही अंश 20 प्रतिशत
7.	संपर्क	संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी / पशु औषधालय प्रभारी से ।

ग्रामीण स्तर पर समुन्नत पशु प्रजनन

(अनुदान पर प्रजनन योग्य सांड प्रदाय)
(यह योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिये)

क्र.	योजना	विवरण
1.	उद्देश्य	नस्ल सुधार ।
2.	योजना	इस योजना के अंतर्गत प्रगतिशील पशुपालक अथवा प्रशिक्षित गौ–सेवक को मुर्रा भैसा सांड के साथ साथ उन्नत नस्ल के गौवंशीय उन्नत देशी/शुद्ध जर्सी/संकरजर्सी सांड प्रदाय किये जावेंगे ।

		योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू । योजना समाज के सभी वर्गों के लिये ।
3.	हितग्राही	अनुससूचित जाति,जनजाति एवं सामान्य वर्ग के पशुपालक ।
4.	योजना इकाई	उन्नत नस्ल का प्रजनन योग्य मुर्रा भैंसा सांड,उन्नत नस्ल के गौवंशीय (उन्नत देशी/शुद्ध जर्सी/संकरजर्सी)सांड प्रदाय किये जावेंगे ।
5.	इकाई लागत	मुर्रा भैंसा सांड रूपये 14000/–,गौवंशीय सांड हेतु रू.10000/– परिवहन एवं बीमा सहित
6.	अनुदान	सामान्य वर्ग के लिये 75 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिये 80 प्रतिशत
7.	संपर्क	संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी / पशु औषधालय प्रभारी से ।

नन्दी शाला योजना

(अनुदान पर प्रजनन योग्य देंशी वर्णित गौ–सांड प्रदाय)
(यह योजना सामान्य,आदिवासी,विशेष घटक के लिये)

क्र.	योजना	विवरण
1.	उद्देश्य	ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय अवर्णित/श्रेणीकृत,गौ वंशीय पशुओं की नस्ल सुधार हेतु देशी वर्णित नस्ल के सांडों का प्राकृतिक गर्भाधान सेवायें हेतु पशुपालकों का अनुदान के आधार पर प्रदाय ।
2.	योजना	ग्राम पंचायत स्तर पर प्रगतिशील पशुपालकों को अनुदार के आधार पर वर्णित नस्ल गौ–सांड प्रदाय यथा – साहीवाल,थारपारकर,हरियाणा,गीर,गौलव,मालवी,निमाणी,केनकथा आदि नस्ल । योजना प्रदेश के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्र के लिये लागू ।
3.	हितग्राही	अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के पशुपालक जिनके पास पर्याप्त कृषि भूमि के साथ न्यूनतम 5 गौवंशीय पशुधन या जिनके पास कृषि भूमि नहीं है,किन्तु 20 या उससे अधिक पशु हैं ।
4.	योजना इकाई	एक देशी वर्णित गौ–सांड । प्रदायित सांड के प्रथम 60 दिवस के लिये पशु आहार ।
5.	इकाई लागत	सांड का मूल्य,परिवहन एवं बीमा रूपये 12500.00 प्रदयित सांड के प्रथम 60 दिवस के लिए पशुआहार रूपये 1500.00 **कुल रूपये 14000.00**
6.	अनुदान	प्रति इकाई अनुदान रूपये 11200.00 (80 प्रतिशत) हितग्राही अंशदान रूपये 2800.00 (20 प्रतिशत)
7.	चयन प्रक्रिया	संबंधित आवेदक ग्राम पंचायत को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा । खण्ड स्तरीय पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी संबंधित जनपद पंचायत से अवेदनों ᑭ अनुमोदन प्राप्त करेगा । उप संचालक प्राप्त प्रकरणों को उपलब्ध बजट के अनुसार जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त करेगा । चयनोपरांत पशु चिकित्सा से अनुबंध करना अनिवार्य होगा । अन्य शर्तें जो विभाग द्वारा लागू की गई हैं ।
8.	संपर्क	संबंधित ग्राम पंचायत/निकटस्थ पशु चिकित्सा संस्था संयुक्त संचालक/उप संचालक

6. *रोग प्रतिबंधात्मक टीकारण*

1. मुंहखुरी रोग का टीका:– यह टीका विभाग द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान पर लगाया जाता है । इस टीके को लगाने का समय माह सितंबर सं माह मई है । यह टीका वर्ष में दो बार लगाया जाता है ।

2. गलघोंटू/घटसर्प(एच.एस.) रोग का टीका:– यह टीका माह मई एवं जून में निःशुल्क लगाया जाता है । यह टीका वर्ष में केवल एक बार लगाया जाता है ।

3. चुरका(बी.क्यू) रोग का टीका:– यह टीका माह मई एवं जून में निःशुल्क लगाया जाता है । यह टीका वर्ष में एक बार लगाया जाता है ।

4.एन्टीरेबीज रोग का टीका:– यह टीका कुत्तों(स्वान) में वर्ष में एक बार लगाया जाता है। ***5. पोस्टबाईट टीका :–*** यह टीका पागल कुत्ते के पशुओं को काटने के पश्चात लगाया जाता है ।

6.आर–2 बी टीका:– यह टीका मुर्गियों में रानीखेत नामक बीमारी से बचाव हेतु लगाया जाता है ।

उप संचालक
पशु चिकित्सा सेवाऐं
छिन्दवाड़ा

Last Update : 12/10/2009